

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर


## कार्यालय -आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/वोल-2/2018/199 दिनांक 28.09.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार निम्नांकित तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापित स्थान	स्थानान्तरित स्थान	वि.वि.
1	मांगीलाल आर्य	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	राउमावि केशवना (सायला)	राबाउमावि जालोर	-

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है-

1. यदि उक्त प्रकरण में सीधी भर्ती से पदस्थापित परीक्षाधीन कार्मिक है तो कार्यग्रहण / कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को उसके संबंधित स्पष्ट रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे, अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
3. राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही कार्यग्रहण अथवा कार्यमुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करे।

  
( राजेश कुमार शर्मा )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर

क्रमांक: जिशिअ/मुख्या/मा/जालोर/संस्था/2019/1455

दिनांक: 28-09-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग पाली मण्डल पाली।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जालोर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.स. सायला/जालोर
7. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि केशवना/राबाउमावि जालोर
8. संबंधित कार्मिक श्री मांगीलाल आर्य पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III
9. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर